

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-42/2022 (2022/94) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. हजारि पिता गोकल गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामलाल पिता उदा गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. केसरदेवी पुत्री उदा गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. श्रवणी पत्नि उदा गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. कजोड़ पिता धन्ना गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. चम्पा पिता सोला गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. जगु पिता गोकल गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. प्रभु पिता धन्ना गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. बागा पिता सोला गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. लेहरू पिता धन्ना गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. लच्छु पिता कालु गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुवा पिता कालु गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बख्तावर पिता चतरभुज गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गिरधारी अमरचन्द गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नारायण पिता लाखा गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मेवाराम पिता गोमा गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. हरदेव पिता गोमा गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरिश टेलर -

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 31.03.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम मोटरा का खेड़ा पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2840 रकबा 0.14 है0 आराजी संख्या 2841 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 2842 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 2843 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 2844 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 2845 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 2846 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 2847 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 2848 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 2849 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 2850 रकबा 1.07 है0, आराजी संख्या 2851 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 2852 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 2853 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 2854 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 2855 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 2856 रकबा 0.03 है0 कुल कित्ता 17 कुल रकबा 2.90 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 141 पर दर्ज होकर स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 1 की आराजी संख्या 2743 रकबा 1.94 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 141 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के



मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने दिनांक 01.02.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 19.08.2021 को पंजीवद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोटरा का खेड़ा पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2840 रकबा 0.14 है, आराजी संख्या 2841 रकबा 0.17 है, आराजी संख्या 2842 रकबा 0.16 है, आराजी संख्या 2843 रकबा 0.32 है, आराजी संख्या 2844 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 2845 रकबा 0.12 है, आराजी संख्या 2846 रकबा 0.05 है, आराजी संख्या 2847 रकबा 0.04 है, आराजी संख्या 2848 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 2849 रकबा 0.06 है, आराजी संख्या 2850 रकबा 1.07 है, आराजी संख्या 2851 रकबा 0.56 है, आराजी संख्या 2852 रकबा 0.05 है, आराजी संख्या 2853 रकबा 0.03 है, आराजी संख्या 2854 रकबा 0.03 है, आराजी संख्या 2855 रकबा 0.03 है, आराजी संख्या 2856 रकबा 0.03 है कुल किता 17 कुल रकबा 2.90 है भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 140 पर दर्ज होकर स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 1 की आराजी संख्या 2743 रकबा 1.94 है भूमि राजस्व खाता संख्या 141 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सुन्दरलाल बम्बोड)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-42/2022 (2022/94) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. हजारी पिता गोकल गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामलाल पिता उदा गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. केसरदेवी पुत्री उदा गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. श्रवणी पत्नि उदा गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. कजोड़ पिता धन्ना गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. चम्पा पिता सोला गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. जगु पिता गोकल गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. प्रभु पिता धन्ना गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. बागा पिता सोला गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. लेहरू पिता धन्ना गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. लच्छु पिता कालु गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुवा पिता कालु गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बख्तावर पिता चतरभुज गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गिरधारी अमरचन्द गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नारायण पिता लाखा गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मेवाराम पिता गोमा गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. हरदेव पिता गोमा गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 31.03.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोटरा का खेड़ा पटवार हल्का नाथडियारा तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2840 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 2841 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 2842 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 2843 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 2844 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 2845 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 2846 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 2847 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 2848 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 2849 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 2850 रकबा 1.07 है0, आराजी संख्या 2851 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 2852 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 2853 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 2854 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 2855 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 2856 रकबा 0.03 है0 कुल कित 17 कुल रकबा 2.90 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 140 पर दर्ज होकर स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 1 की आराजी संख्या 2743 रकबा 1.94 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 141 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया।



(Signature)
31.3.2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा) अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा